

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-30/2019/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	मूलचन्द नागर	नर्स प्रथम	बारां	10.02.1959	28.02.2019
2.	जगदीश चन्द्र सुमन	नर्स प्रथम	बूंदी	15.03.1959	31.03.2019
3.	प्रवीण देवल	नर्स प्रथम	उदयपुर	01.04.1959	31.03.2019
4.	श्याम सुन्दर वीरवाल	नर्स प्रथम	उदयपुर	04.03.1959	31.03.2019
5.	बाबूलाल	नर्स प्रथम	बारां	07.03.1959	31.03.2019
6.	अशोक कुमार जैन	फार्मासिस्ट	जयपुर	05.03.1959	31.03.2019
7.	मोहम्मद सलीम गोड़	नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	03.04.1959	30.04.2019
8.	बलबीर चन्द शर्मा	नर्स प्रथम	दौसा	08.04.1959	30.04.2019
9.	पुरुषोत्तम सैन	नर्स प्रथम	बूंदी	10.05.1959	31.05.2019
10.	सत्यनारायण पालीवाल	नर्स प्रथम	जयपुर प्रथम	14.05.1959	31.05.2019
11.	सोसम्मा ओ.	नर्स प्रथम	उदयपुर	27.05.1959	31.05.2019
12.	मरी अम्मा वर्गीस	नर्स प्रथम	उदयपुर	28.05.1959	31.05.2019
13.	गुलाब चन्द सोनी	नर्स प्रथम	नागौर	13.05.1959	31.05.2019
14.	हितेन्द्र कुमार शर्मा	नर्स प्रथम	अलवर	13.05.1959	31.05.2019
15.	बिजेन्द्र सिंह त्यागी	नर्स प्रथम	दौसा	20.05.1959	31.05.2019
16.	रोहिताश्व	नर्स प्रथम	अलवर	16.06.1959	30.06.2019
17.	चुन्नी लाल भीना	नर्सिंग अधीक्षक	दौसा	01.07.1959	30.06.2019
18.	विजयपाल यादव	नर्स प्रथम	अलवर	01.07.1959	30.06.2019
19.	रेखा रानी बंशीवाल	नर्सिंग ट्यूटर	अलवर	31.07.1959	31.07.2019
20.	हरिप्रसाद शर्मा	पीएचएन	करौली	20.08.1959	31.08.2019
21.	रणछोडाराम चौधरी	नर्स प्रथम	बाडमेर	25.08.1959	31.08.2019
22.	पुष्पा जैमन	नर्स प्रथम	जयपुर	08.08.1959	31.08.2019
23.	तुलसी ननमा	नर्स प्रथम	उदयपुर	13.09.1959	30.09.2019
24.	नारायणकृष्ण चौधरी	नर्सिंग ट्यूटर	बाडमेर	28.09.1959	30.09.2019
25.	अन्नम्मा पी.एल.	नर्स प्रथम	उदयपुर	15.10.1959	31.10.2019
26.	रतन परिहार	नर्स प्रथम	उदयपुर	08.10.1959	31.10.2019
27.	रामकिशन वर्मा	नर्स प्रथम	किशनगढ़ अजमेर	08.11.1959	30.11.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 28.01.2019.

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-30/2019/43

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर